"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2018—फाल्गुन 4, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 4-1/2007/1-7.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 798/291/XXI-B/C.G./2018, दिनांक 24-01-2018 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा श्री अशोक कुमार लुनिया, (सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा) विधिक सलाहकार, छत्तीसगढ़ लोक आयोग की सेवाएं छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर से वापस लेते हुए, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को वापस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

क्रमांक-9747/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2—राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8645/एफ-08/89/PMFBY/2016/14-2 दिनांक 21-11-2017 के बिन्दु क्रमांक-13(क) के तहत बेमेतरा जिला के निम्नानुसार ग्राम पंचायत में अधिसूचित मुख्य फसल चना की सामान्य रकबे से 75 प्रतिशत से अधिक बोनी प्रभावित/बुआई विफल होने के कारण क्षतिपूर्ति हेतु पात्र घोषित करती है :—

क्र.	तहसील	रा.नि.म.	ग्राम पंचायत	चना की बोआई में अनुमानित कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवागढ़	नवागढ़	मुरता	96%
2.	नवागढ़	नवागढ़	धनौरा	84%
3.	नवागढ़	मारो	न.प. मारो	81%

इन क्षेत्रों के ऐसे समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2017-18 में अधिसूचित मुख्य फसल हेतु निर्धारित प्रीमियम अदा कर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि तक बीमा आवरण प्राप्त किया है, योजना प्रावधानों के अध्याधीन निर्धारित की जाने वाली क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. चन्द्राकर, संयुक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.—बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन हेतु गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50 दिनांक 06-09-2017 को जारी की गई है, जिसमें महासमुंद जिले के बालक कल्याण समिति के सदस्य के उपनाम में श्री तेजेन्द्र कुमार वर्मा अंकित हो गया है, जिसमें निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

जिले का नाम	बाल कल्याण समिति के सदस्य का नाम
महासमुंद	श्री तेजेन्द्र कुमार चंद्राकर

नियुक्ति की सभी शर्तें अधिसूचना क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50 दिनांक 6-09-2017 के अनुसार होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 9-3/2017/38-2.—राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 (एक-अ) के अनुसार दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के कार्यपरिषद् हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री विद्यारतन भसीन, 66-वैशाली नगर.	एम.आई.जी.-19, वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग, छ.ग. मोबाईल-098261-54999.
2.	श्री राजमहंत सांवला राम डाहरे, 67-अहिवारा (अ.जा.).	हिन्दी भवन, सड़क नं.-3, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग, छ.ग. मोबाईल-094241-15046.
3.	श्री अवधेश सिंह चंदेल, 69-बेमेतरा.	ग्राम-रेवे, पोस्ट-पतोरा, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा, छ.ग. मोबाईल-094252-47025.
4.	श्री अरूण वोरा, 64-दुर्ग शहर.	सीनियर एम.आई.जी.-38, पद्नाभपुर, दुर्ग, जिला-दुर्ग छ.ग. मोबाईल-094255-65100.
5.	श्री भैयाराम सिन्हा 59-संजारी बालोद.	बाजार चौक, गुरूर, जिला-बालोद, छ.ग. मोबाईल-94252-41633.

माननीय सदस्यों को कार्यकाल छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23 (2) में दिये गये प्रावधानानुसार तीन वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नलिनी माथुर, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2018

क्रमांक F-12-03/2014/20-3.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखण्डों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है :—

1. उपखण्ड (एक) के अंतर्गत मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्य/प्रधानाध्यापक, जिनमें से कम से कम एक महिला :

क्र.	नाम एवं पद	पता
1.	श्री मोहनराव सांवत, प्राचार्य	प्रो. जे. एम. पाण्डेय, शा.उ.मा.वि, रायपुर
2.	श्री प्रकाश यादव, प्राचार्य	सरस्वती शिशु मंदिर, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव
3.	श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, प्राचार्य	शा.उ. मा. वि., सारागांव, जिला रायपुर.

2. उपखण्ड (दो) के अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालयों के एक प्राचार्य :

क्र.	नाम एवं पद	पता
1.	श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य	माँ गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर, जिला बस्तर

3. उपखण्ड (तीन) के अंतर्गत मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छः अध्यापक जिनमें कम से कम एक महिला :

क्र.	नाम एवं पद	पता
1.	श्री ओंकार सिंह, शिक्षक	शा.उ.मा.वि., परसागुड़ी राजपुर, जिला बलरामपुर
2.	श्री कुशल प्रसाद कौशिक, व्याख्यता	विधि प्रकोष्ठ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर
3.	श्री जगदीश सिंह मौर्य, व्याख्याता	शा.उ.मा.वि., लोहंडीगुड़ा, बस्तर
4.	डॉ. भूपेन्द्रधर दीवान, व्याख्याता	शा.उ.मा.वि., बूढ़ीखार (मस्तूरी) जिला बिलासपुर
5.	श्री उमेश पाणीग्राही, प्रधान अध्यापक	शा. पूर्व मा. शाला सुधापाल, जिला बस्तर
6.	श्रीमती कविता कश्यप, व्याख्याता (पं.)	शा. कन्या उ.मा.वि., भानपुरी, वि. खं. एवं जिला बस्तर

4. उपखण्ड (चार) के अंतर्गत स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन ऐसे व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था चलाते हों :

क्र.	नाम एवं पद	पता
1.	श्री परसराम बोहरा, प्रबंधक	सर्वोदय विद्यालय प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर
2.	श्री संजय जोशी, अध्यक्ष	शाला प्रबंध एवं विकास समिति शहीद स्मारक स्कूल, रायपुर
3.	श्री कैलाश जैन, प्रबंधक	सरस्वती शिशु मंदिर सोनारपाल,वि.खं. व जिला बस्तर

5. उपखण्ड (पाँच) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विधानसभा के पाँच सदस्य :

क्र.	नाम एवं पद	पता
1.	श्री देवजी भाई पटेल, विधायक	वि.स. क्षेत्र-धरसींवा
2.	श्री तोखन साहू, विधायक	वि.स. क्षेत्र-लोरमी
3.	श्रीमती चंपादेवी पावले, विधायक	वि.स. क्षेत्र-भरतपुर सोनहत
4.	श्री राजमहंत सावाल राम डाहरे, विधायक.	वि.स. क्षेत्र-अहिवारा
5.	श्री भोजराम नाग, विधायक	वि.स. क्षेत्र-अंतागढ़

6. उपखण्ड (छः) के अंतर्गत ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न हुआ हो :

क्र.	नाम एवं पद	पता
1.	श्री अरविंद सिंह ठाकुर (शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले).	आमापारा, धोबीपारा बजरंग मंदिर के पास, म. नं. 30/361, रायपुर.
2.	श्री अजब सिंह ठाकुर अवकाश प्राप्त अध्यापक	ग्राम पल्लीभाठा, पोस्ट तुरपुरा, जिला बस्तर

उपरोक्त नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 03 वर्ष की होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप भटनागर, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 7-19/2015/32.—चूंकि राज्य सरकार ने संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़ द्वारा अहिवारा निवेश क्षेत्र के लिए तैयार की गई विकास योजना को नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की है,

और चूंकि राज्य शासन विचारोपरांत नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित उपांतरणों के साथ प्रारूप विकास योजना को अनुमोदित करना प्रस्तावित किया है,

अतएवं अधिनियम, की धारा 19 (2) के प्रावधान के अंतर्गत नीचे दिये गये उपांतरणों पर राज्य शासन इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन की कालावधि में प्रस्तावित उपांतरणों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं. उपांतरण प्रस्ताव सहित मानचित्र संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग में निरीक्षण हेतु रखे गये हैं :—

अहिवारा विकास योजना (प्रारूप) 2031 में प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण	शासन द्वारा मान्य उपांतरण का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	देउरझाल प.ह.नं. 30	145/2, 146/5, 146/4	11.71 हे.	कृषि एवं आवासीय	आवासीय
2.	पिटौरा प.ह.नं. 37	555/1 भाग, 555/2 भाग, 556, 567, 568/1 भाग, 565, 592/1 भाग, 592/2 भाग, 592/3 भाग, 592/4 भाग, 592/5 भाग, 592/6 भाग, 592/7 भाग, 600, 604, 605/2 भाग, 605/1 भाग, 621, 622/1 भाग, 622/2 भाग, 624, 625, 626, 627, 628	0.594 हे.	कृषि	औद्योगिक
		530, 531, 547/1 भाग, 547/2 भाग, 547/3 भाग, 548, 549/1 भाग, 549/2 भाग, 550, 555/1 भाग, 555/2 भाग, 556, 557/1 भाग, 557/2 भाग, 562/1 भाग, 562/2, 562/3 भाग, 563/1 भाग, 563/2 भाग, 564, 565, 566, 567, 568/1 भाग, 590/2 भाग, 591, 592/1 भाग, 592/2 भाग, 592/3 भाग, 592/4 भाग, 592/5 भाग, 592/6 भाग, 592/7 भाग, 593, 600, 604, 605/1 भाग, 605/2 भाग, 607, 609/2 भाग, 619, 620, 621, 622/1 भाग, 622/2 भाग, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634	22.57 हे.	कृषि	औद्योगिक
		महायोग	**34.874**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 23 जनवरी 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/849/क/भू-अर्जन/2017..—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला उप तह. बरपाली	बरपाली	0.040 हे.	बरपाली-तुमान मार्ग निर्माण में छूटे हुए भूमि का अर्जन.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 09-02-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन बरपाली नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — बरपाली-तुमान मार्ग निर्माण में छूटे हुए भूमि का अर्जन
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 01
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — रुपये 1.69 लाख
9. परियोजना से होने वाला लाभ — बरपाली-तुमान सड़क निर्माण से आवागमन की सीधी सुविधा बारहमासी हो जावेगी.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. संभाग कोरबा द्वारा राशि 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 211340 दिनांक 19-01-2018 के माध्यम से जमा किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 10 फरवरी 2018

क्रमांक/142/रीडर/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	खोखली प.ह.नं. 14	0.590	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग - बलौदाबाजार (छ.ग.)	भाटापारा-बायपास मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार, दिनांक 10 फरवरी 2018

क्रमांक/143/रीडर/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	कोडापार प.ह.नं. 14	1.896	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग - बलौदाबाजार (छ.ग.)	भाटापारा-बायपास मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार, दिनांक 10 फरवरी 2018

क्रमांक/144/रीडर/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	धौराभाठा प.ह.नं. 12	2.302	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग - बलौदाबाजार (छ.ग.)	भाटापारा-बायपास मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार, दिनांक 10 फरवरी 2018

क्रमांक/145/रीडर/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	बीजाभाट प.ह.नं. 15	5.599	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग - बलौदाबाजार (छ.ग.)	भाटापारा-बायपास मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार, दिनांक 10 फरवरी 2018

क्रमांक/146/रीडर/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	मुढ़ीपार प.ह.नं. 14	1.932	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग - बलौदाबाजार (छ.ग.)	भाटापारा-बायपास मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार, दिनांक 10 फरवरी 2018

क्रमांक/147/रीडर/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	राजाढार प.ह.नं. 16	5.574	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग - बलौदाबाजार (छ.ग.)	भाटापारा-बायपास मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार, दिनांक 10 फरवरी 2018

क्रमांक/148/रीडर/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	गोगिया प.ह.नं. 16	7.308	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग - बलौदाबाजार (छ.ग.)	भाटापारा-बायपास मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सिंह राणा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पेण्ड्रीडीह प.ह.नं. 10	1.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	ऐंठुलकापा प.ह.नं. 15	3.25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मोहभट्ठा प.ह.नं. 10	1.86	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	केसला प.ह.नं. 17	2.76	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	बिल्हा प.ह.नं. 17	1.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत केसला माईनर 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	अमेरीकापा प.ह.नं. 15	5.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	खम्हारडीह प.ह.नं. 10	2.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 11/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	अमेरी-अकबरी प.ह.नं. 20	5.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 14/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	दगोरी प.ह.नं. 21	7.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 15/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	उड़नताल प.ह.नं. 21	7.35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 60/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मेडपार प.ह.नं. 36	6.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक 63/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	खैरी प.ह.नं. 31	19.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्र. क्रमांक 03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-खोखसा, प.ह.नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2594/16	0.008
	2594/12	0.020
	2949/1, 2950/1, 2951/1 क	0.012
	2949/4, 2950/3, 2951/1 घ	0.012
योग	4	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर कि.मी. 672/11-18 पर खोखसा लेबल क्रासिंग में बिलासपुर, रायगढ़ के मध्य रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

प्र. क्रमांक 08/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-गौद, प.ह.नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.316 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	407/12	0.057
	407/4	0.061
	407/6	0.069
	407/5	0.129
योग	4	0.316

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रोगदा बिरगहनी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/649/अ.वि.अ./वाचक/2018 कोरबा, दिनांक 9 फरवरी 2018

अनुसूची

जिला-कोरबा, अनुविभाग-कोरबा

क्रमांक (1)	वनमंडल (2)	तहसील (3)	वनखण्ड का नाम (4)	क्षेत्रफल एकड़ में (5)
1.	कोरबा	कोरबा	उत्तर कोरबा	पुराना ख.नं. 66/1 घ नया ख. नं. 919 रकबा 0.29

ग्राम रामपुर कोरबा स्थित भूमि जो कि राजस्व अभिलेखों में डॉ. धर्मवीर सिंह ढिल्लो पिता श्री दरयाब सिंह जाति जाट निवासी एम.पी.नगर कोरबा तहसील व जिला कोरबा के भूमि स्वामी हक में दर्ज है को उत्तर कोरबा वन खण्ड कोरबा के कक्ष क्रमांक पुराना नं. 2200 नया नंबर पी-989 से पृथक किये जाने की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

क्रमांक/650/अ.वि.अ./वाचक/2018 कोरबा, दिनांक 9 फरवरी 2018

अनुसूची

जिला-कोरबा, अनुविभाग-कोरबा

क्रमांक (1)	वनमंडल (2)	तहसील (3)	वनखण्ड का नाम (4)	क्षेत्रफल एकड़ में (5)
1.	कोरबा	कोरबा	उत्तर कोरबा	ख.नं. 65/1 च, रकबा 0.76 3/4
				ख.नं. 65/1 घ, रकबा 0.87 1/2
				ख.नं. 65/1 ज, रकबा 0.74 1/2
				ख.नं. 65/1 ड, रकबा 0.74 1/2
				ख.नं. 65/1 छ, रकबा 0.86
				ख.नं. 65/1 ख, रकबा 0.91
				ख.नं. 65/1 झ, रकबा 0.98 1/4
				कुल ख.नं. 07 कुल रकबा 6.84 ए.

ग्राम रामपुर कोरबा स्थित भूमि जो कि राजस्व अभिलेखों में मंगलम बिल्डवेल प्रा.लि. कोसाबाडी कोरबा डायरेक्टर डॉ. धर्मवीर सिंह ढिल्लों पिता श्री दरयाब सिंह जाति जाट, श्रीमती मोहिन्दर कौर पति स्व. लविन्दर सिंह जाति सिक्ख, श्रेष्ठ सिंह ठाकुर पिता स्व. जगदीश सिंह जाति राजपूत सभी निवासी कोरबा तहसील व जिला कोरबा के भूमि स्वामी हक में दर्ज है को उत्तर कोरबा वन खण्ड कोरबा के कक्ष क्रमांक पुराना नं. 2200 नया नंबर पी-989 से पृथक किये जाने की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

बी. एस. मरकाम,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी.

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग

पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2018

परिपत्र

क्रमांक/1102/अ.सं.आ./स्था-3/2017-18.—छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्र. एफ 19-15/2017/25-2 नया रायपुर दिनांक 22-12-2017 द्वारा श्री बद्रीश सुखदेवे, सचिव, छत्तीसगढ़, राज्य अनुसूचित जाति आयोग को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. आदेश के परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 29-12-2017 को कार्यभार ग्रहण किया गया है.

बद्रीश सुखदेव,
सचिव.